कार्यालय : जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, प0 सिंहभूम, चाईबासा।

–: अल्पकालिन निविदा :–

प0 सिंहभूम, चाईबासा जिलांतर्गत अंतर्गत दवा, सामग्री, उपकरण एवं उपस्कर इत्यादि क्रय करने की आवश्यकता है। इसके लिए इच्छुक दवा निर्माता कंपनी/प्राधिकृत स्टॉकिस्ट से निम्नलिखित शर्तो के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है।

1. इच्छुक निविदादाता अपना निविदा निबंधित डाक द्वारा या हाथों–हाथ मोहरबंद लिफाफा में दिनांक.04.03.2017 को संध्या 05 बजे तक सिविल सर्जन, प0 सिंहभूम, चाईबासा के नाम से डाल सकते हैं।
2. दिनांक–04.03.2017 को संध्या 05 बजे के बाद प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
3. निविदा दाता दवा/रसायन/उपस्कर एवं सामग्री की सूची कार्यालय अवधि में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से 2000/– रूपये (दो हजार) का ड्राप्ट जिला ग्रामीण स्वा0 समिति, प0 सिंहभूम, चाईबासा के नाम से जमा कर दिनांक–28.02.2017 से 02.03.2017 के संध्या 05 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं, जिसे वापस नहीं किया जायेगा।
4. प्राप्त निविदा दिनांक–06.03.2017 के अपराह्न 04 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निविदादाता या उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोला जायेगा।
5. निविदा के साथ 15000/– रुपये का अग्रधन राशि का बैंक ड्राफ्ट जो जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, प0 सिंहभूम, चाईबासा के नाम से भुगतेय हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. अनुमोदित दर एल–01 वाले दवा कंपनी या प्राधिकृत स्टॉकिस्ट को दवा आपूर्ति आदेश निर्गत करने के आलोक में दवा या सामग्री की आपूर्ति समयोपरांत नहीं करने की स्थिति में संबंधित फार्म को काली सूची में डाल दी जायेगी तथा अग्रधन राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
7. निविदा से संबंधित किसी प्रकार का विवाद का न्यायिक क्षेत्र, प0 सिंहभूम, चाईबासा होगा।
8. संबंधित निविदा दाता को अद्यतन आयकर, ब्रिकी कर/स्वच्छता प्रमाणपत्र/वाणिज्य कर प्रमाण पत्र/ड्रग लायसेंस एवं संस्था काली सूची में नहीं है का शपथ प्रमाण पत्र (100/– रूपये के Stamp) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. विगत तीन वर्षो का ओडिट रिपोर्ट संलग्न करना होगा, जिसका न्यूनतम ट्रनओवर 50 लाख होना चाहिए।
10. किसी भी निविदा दाता का निविदा रद्द करने के शक्ति समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
11. आपूर्ति की गयी दवा/रसायन/उपस्कर एवं सामग्री का गुणवत्ता निम्नस्तर का पाये जाने पर आपूर्तिकर्ता के द्वारा अपने खर्च पर दवा का प्रतिस्थापन(Replacement) मानक गुणवत्ता वाले दवा/रसायन/उपस्कर सामग्री की आपूर्ति करनी होगी।
12. दवा के मामले में आपूर्तिकर्ता फार्म उनके कंपनी द्वारा दवा का टेस्ट प्रमाणपत्र बैचवाईज के अनुसार दवा आपूर्ति के समय संलग्न करना अनिवार्य होगा।
13. जिसके लिए जो फर्म निविदा डालेंगे उसका निबंधन संलग्न करना अनिवार्य होगा।
14. दवा एवं सभी सामग्री का दर सभी कर/अधिभार सहित देय होगा, जिसके लिये अलग से किसी भी प्रकार का राशि देय नहीं होगा।
15. अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिये गये जगह पर दवा/सामग्री पहुंचाना होगा।
16. भुगतान हेतु प्राप्त Document के साथ 03 प्रतियों में विपत्र देना होगा।
17. निविदा दो अलग–अलग लिफाफ में वित्तीय बीड एवं तकनिकी बीड को एक बड़े लिफाफ में डालकर देना होगा, जो एजेंसी तकनिकी बीड में पास करेगा उसी का वित्तीय बीड खोला जायेगा।
18. आपूर्ति दवा/सामग्रियो का Self Life आपूर्ति के समय 80 प्रतिशत होना चाहिये।

21/02/17

असैनिक शल्य चिकित्सक
सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
प0 सिंहभूम, चाईबासा।

21/02/17